गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग
उत्तराखण्ड

सिटीजन चार्टर

Scanned with CamScanner

परिचय

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग एक दूसरे की पूरक है स्वस्थ्य चीनी उद्योग विभाग एवं कृषकों की आवश्यकता है एवं आवश्यकता के अनुसार गन्ने की उपलब्धता चीनी उद्योग की आवश्यकता है। चीनी मिल को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ना उपलब्ध कराने का दायित्व गन्ना विकास विभाग का है। उत्तराखण्ड के मात्र चार जनपदों के सीमित क्षेत्र के दृष्टिगत गन्ना क्षेत्र में वृद्धि के लक्ष्य के साथ–साथ प्रति हेक्टे0 उत्पादन में वृद्धि का भी विभागीय लक्ष्य है जिसे विभाग अपनी इकाईयों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित कर पूर्ण करने हेतु कटिबद्ध है।

चीनी उद्योग भारत का एक सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है एवं सफेद चीनी उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत विश्व में कुल चीनी उत्पादन का 1/10 चीनी उत्पादन करता है। उत्तराखण्ड में चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है जो राज्य के चार गन्ना उत्पादक जिलों क्रमशः ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून के अन्तर्गत विस्तृत है।

उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 1.82 लाख गन्ना उत्पादक कृषक सहकारी गन्ना विकास समितियों में पंजीकृत हैं, जो चीनी मिलों को लगभग 1100 करोड़ रू0 का गन्ना आपूर्ति करते है। सामाजिक वित्तीय स्थिति में वृद्धि करने में चीनी उद्योग एवं गन्ने की खेती की एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक भूमिका है। चीनी उद्योग एवं गन्ने की खेती से जहॉ कृषक की आर्थिक स्थिति सुदृढ होती है वही अप्रत्यक्ष रूप से हजारों कृषि मजदूर औद्योगिक मजदूर उनके परिवार इससे जुडे हुए है, साथ ही चीनी उद्योग की सफलता के साथ आसवनी उद्योग एवं कान्फेक्सनरी उद्योग की सफलता भी जुड़ी हुई है। चीनी उद्योग राज्य एवं केन्द्र को गन्ना क्रयकर एवं आबकारी शुल्क के रूप में राजस्व अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

प्रति हे0 उत्पादन में वृद्धि एवं चीनी परता वृद्धि के दृष्टिकोण से विभाग ने गन्ना बीज बदलाव योजना को अपनाया है जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड के गन्ना उत्पादन जनपदों से अस्वीकृत प्रजातियों को समाप्त कर उन्नतशील एवं अधिक शर्करायुक्त गन्ना प्रजातियों को आच्छादित किया जाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय पन्तनगर के गन्ने से सम्बन्धित वैज्ञानिक शोधों का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तथा गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर के माध्यम से गन्ने के विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा कृषकों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जिला योजना एवं केन्द्र पोषित योजना के विभिन्न कार्यक्रमो को गन्ना विकास परिषदो, सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से फील्ड स्टाफ द्वारा ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषकों को शासन एवं विभागीय नीतियों की जानकारी देने एवं तकनीकी जानकारी देने हेतु ग्राम स्तरीय बैठके आयोजित की जाती है जिनमें गन्ना वैज्ञानिको का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

उद्देश्य

1. भूमि की उर्वरा शक्ति मे वृद्धि हेतु रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग को जैव उर्वरक/कम्पोस्ट से प्रतिस्थापित करना।
2. पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने हेतु कीटनाशी रसायनों के स्थान पर जैव नियंत्रण को अपनाना।
3. कृषकों को उन्नतशील गन्ना प्रजातियों एवं शीघ्र पकने वाली गन्ना प्रजातियो से अवगत कराना।
4. कृषकों को विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
5. गन्ना क्रय केन्द्र तक अथवा मिल गेट तक सुगमता से गन्ना आपूर्ति करने हेतु सम्पर्क मार्गो का निर्माण करना।
6. पेड़ी गन्ना फसल को कीटो से बचाना एवं इसके प्रति हेक्टे0 उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रयास किया जाना।
7. गन्ना न बोने वाले कृषकों को गन्ने की खेती हेतु प्रोत्साहित करना।
8. आपूर्तित गन्ने का लाभकारी मूल्य समय पर कृषक को उपलब्ध कराना।
9. खेती की नवीनतम तकनीक कृषक को उपलब्ध कराना।
10. कृषक को समय पर कृषि निवेश यथा उर्वरक कीटनाशक रसायन आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
11 शासन/विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से योग्य पात्र कृषकों को लाभान्वित करना।
12. शासन की नीतियों से कृषक को अवगत कराना।

Scanned with CamScanner

लक्ष्य

1. कम लागत में कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करना तथा बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गन्ने की औसत पैदावार 80 मै0टन/हे0 तक करना।
2. शीघ्र प्रजाति के गन्ने का क्षेत्रफल 65 प्रतिशत से अधिक करना।
3. गन्ने को ड्राल 56 प्रतिशत से बढाकर 70 प्रतिशत करना
4. भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने एवं उत्पादन लागत में कमी करने हेतु जैव उर्वरको/जैव कम्पोस्ट के प्रयोग में वृद्धि करना।
5. गन्ने के विकास, उत्पादन में वृद्धि हेतु नये आयामों को चिन्हित करना।
6. अस्वीकृत प्रजातियों को समाप्त कर उन्नतशील एवं अधिक शर्करायुक्त गन्ना प्रजातियों को बढ़ावा देना।

Scanned with CamScanner

विभाग की संरचना

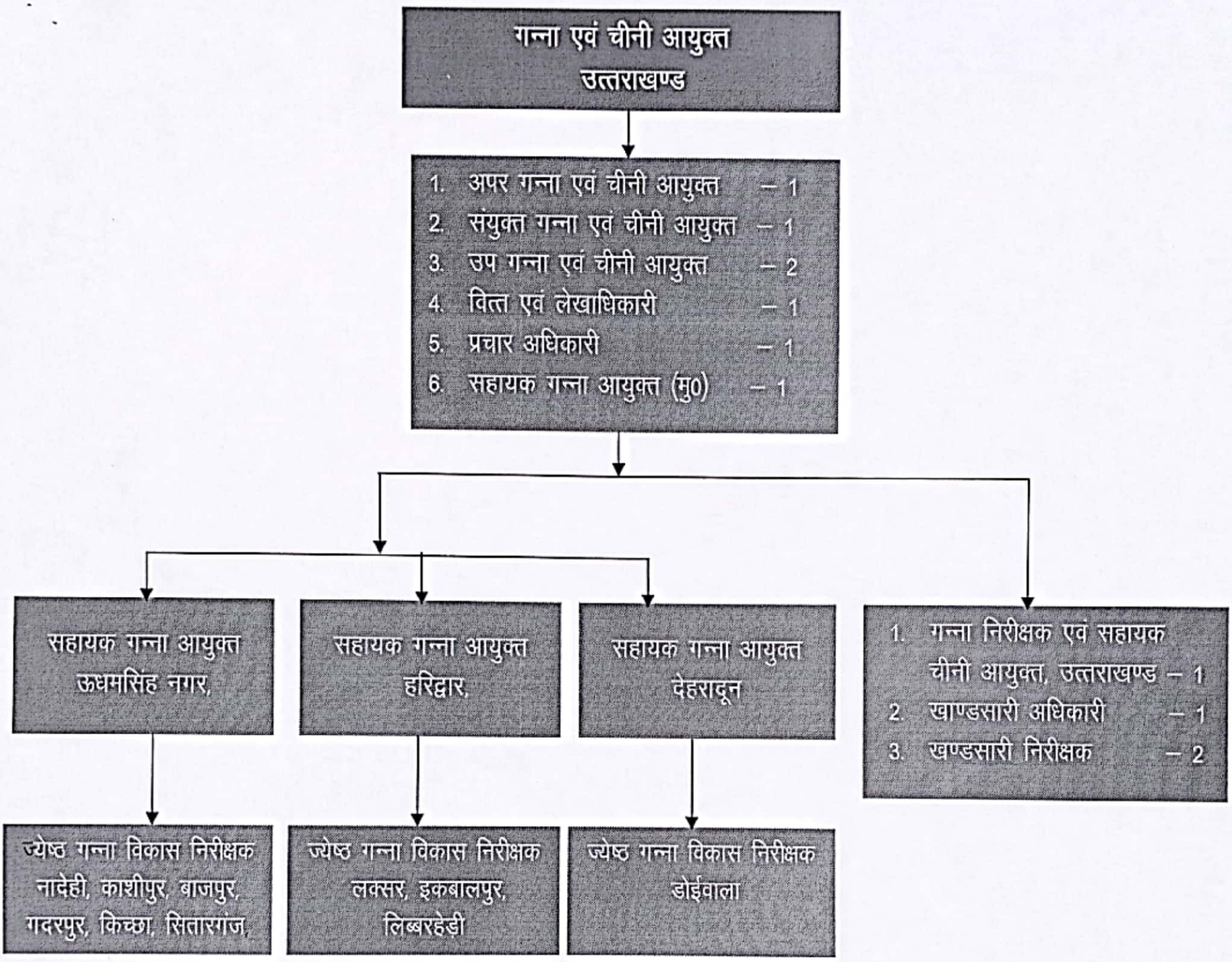

Scanned with CamScanner

राज्य स्तर (मुख्यालय) पर किये जाने वाल कार्य

मुख्यालय स्तर पर विभिन्न विकास योजनाऐं बनाकर उन्हें कार्यान्वित कराते हुए निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जाते है।

1. चीनी मिलों को गन्ना पूर्ति के लिये क्षेत्र आरक्षित करना
2. गन्ना पूर्ति की नीति निर्धारण
3. चीनी मिलों का निरीक्षण कराते हुए उन पर अपेक्षित नियंत्रण,
4. गन्ना मूल्य और क्रय कर का भुगतान कराना,
5. किसानों से सटटा किये गये कुल गन्ने को पेरने के लिये चीनी मिलों को बाध्य करना
6. खाण्डसारी इकाइयों, खड़े कोल्हुओं की स्थापना के लिये लाईसेंस देने एवं नवीनीकरण का कार्य करना
7. खाण्डसारी इकाइयों, खड़े कोल्हुओं पर पर अपेक्षित कर का निर्धारण करना तथा अनियमितताओं के लिये चीनी मिलों की तरह उनके विरूद्ध कार्यवाही करना
8. अन्तरग्रामीण सडक निर्माण योजना के अन्तर्गत ठेकेदारो का पंजीकरण करना, गोदामो एवं अन्तरग्रामीण सड़कों इत्यादि के निर्माण कार्य कराना।

जिला स्तर पर सहायक गन्ना आयुक्त/सहायक चीनी आयुक्त

जिला स्तरीय गन्ना विकास कार्यो का संचालन श्रेणी दो के राजपत्रित अधिकारी–सहायक गन्ना आयुक्त के निर्देशन में होता है। वर्तमान में विभाग के 2 सहायक गन्ना आयुक्त चार गन्ना उत्पादक जनपदों में गन्ना विकास कार्य संचालित कर रहे है। सहायक चीनी आयुक्त का प्रदेश में एक ही पद है जो पूरे प्रदेश के कार्यो का संचालन करते है ं।

सहायक गन्ना आयुक्त/ जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जाते है:–

1. जनपद विशेष की गन्ना विकास योजनाओ कार्यक्रमों को नियमानुसार गन्ना एवं चीनी आयुक्त के निर्देशन में संबन्धित जनपद में लागू करवाना
2. सहकारी गन्ना समितियों के सहायक निबन्धक होने के नाते सहकारी गन्ना समितियों के कार्यकलापों पर निगरानी।
3. जनपद के गन्ना कृषकों के गन्ने की चीनी मिलों को सामयिक एवं सामानुपातिक आपूर्ति सुनिश्चित कराना।
4. चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान पर निगरानी रखना।
5. जनपद में तैनात अधीनस्थ कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करना।
6. जनपद की गन्ना विकास परिषदो ं द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।
7. उच्चाधिकारियों को प्रगति विवरण समय समय पर उपलब्ध कराना।
8. जनपद में स्थित गन्ना समितियों गन्ना विकास परिषदों व चीनी मिल का समय समय पर निरीक्षण करना।
9. आहरण–वितरण अधिकारी के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग।

सहायक चीनी आयुक्त स्तर पर निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जाते है:–

1. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 व तद्विषयक नियमावली 1954 के प्राविधानों के अन्तर्गत चीनी मिलों से संबन्धित प्रवर्तन कार्यो का निर्वहन।
2. चीनी मिलों के गन्ना क्रयकर का निर्धारण, वसूली कर निर्धारण अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराना।
3. खाण्डसारी इकाईयों/पावर खड़े कोल्हूओं पर लाईसेसिंग संबन्धी प्राविधानों का अनुपालन ।
4. खाण्डसारी इकाईयों के क्रयकर का निर्धारण व वसूली सुनिश्चित कराना।
5. गन्ना क्रय केन्द्रों पर अनियमितताओं की रोकथाम हेतु विभिन्न अधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्रों पर किये गये निरीक्षणों में पाई गई अनियमिताओं पर (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 व तद्विषयक नियमावली 1954 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करना।
6. अधीनस्थ स्टाफ का नियंत्रण एवं निर्देशन करना ।
7. आहरण–वितरण अधिकारी के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग।

Scanned with CamScanner

विभाग की कार्यदायी संस्थाऐं / अधिष्ठान

गन्ना विकास परिषदें

विभाग के विकास कार्यक्रमों एवं गन्ना उत्पादन की नवीनतम तकनीकों को कृषकों तक पहुँचाने के उददेश्य से गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1954 की विधिक व्यवस्था के अर्न्तगत प्रत्येक चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना विकास परिषद गठित की जाती है।

चीनी मिल/जोनल स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के नेतृत्व में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जो गन्ना विकास परिषद का सचिव/मंत्री है, परिषद क्षेत्र में विकास गतिविधियों के लिये उत्तरदायी होते है जब कि फील्ड स्तर पर विकास कार्यो के लिये गन्ना पर्यवेक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक उत्तरदायी होते है। 450 हेक्टे0 क्षेत्र पर एक गन्ना पर्यवेक्षक तथा 12 गन्ना पर्यवेक्षकों पर एक गन्ना विकास निरीक्षक सामान्यतः नियुक्त होता है जो ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रमों का संचालन करते है। गन्ना विकास परिषदों द्वारा उर्वरक, यंत्र व दवाईयों आदि का वितरण व विकास कार्यो का संचालन गन्ना समितियों के माध्यम से होता है एवं चीनी मिल क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक सहकारी गन्ना समितियॉ होती है।

गन्ना विकास परिषद स्तर पर निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जाते हैः–

1. गन्ना परिषद क्षेत्र के लिये गन्ना विकास कार्यक्रम तय करना।
2. गन्ना बीज, प्रजाति, गन्ना बुवाई कार्यक्रम, खाद, उर्वरक एवं कृषि निवेशों का प्रबन्धन की, व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. सिंचाई एवं कृषि सुविधाओ को सुनिश्चित कराना।
4. रोग/कीट के नियंत्रण हेतु हर सम्भव आवश्यक कार्यवाही करना एवं मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के प्रयास करना।
5. गन्ना उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को गन्ने की खेती की नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराना।
6. गन्ना एवं चीनी आयुक्त के निर्देशन में उपलब्ध कोष का उपयोग करना।
7. राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
8. ऐसे अन्य सभी कार्य जो परिषद क्षेत्र के सुरक्षित क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित हो।
9. अधीनस्थ स्टाफ से खाद गोदामों का समुचित रखरखाव कराना तथा समय समय पर खाद गोदामों का प्रत्येक माह निरीक्षण कर सत्यापन करना।
10. पौधशालाओं को उपयुक्त स्थान पर संस्थापित कराना।
11. उर्वरक, कीटनाशक, जमाव वर्धक दवाओं, कृषि रक्षा यंत्रों के उपयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना व वितरण कराना।
12. गन्ने की अधिकतम उपज प्राप्त कराने हेतु गन्ना कृषकों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की भावना जागृत करना एवं गन्ना प्रतियोगिता योजना के संचालन का कार्य, खेती की तैयारी, बुआई तथा कटाई की व्यवस्था करना तथा गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज निर्धारण हेतु फसल कटाई प्रयोग का संचालन करना।
13. कृषकवार ग्रामवार क्षेत्रफल एवं उपज अनुमान सर्वेक्षण कार्य का सम्पादन करवाना, उसका पर्यवेक्षण व नियंत्रण करना तथा गन्ना सर्वेक्षण संबन्धित अभिलेखों को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण कराना।
14 गन्ना पूर्ति व्यवस्था के सफल निष्पादन कार्य हेतु सामयिक कागजातों जैसे खतौनी, कलैण्डर आदि की निर्धारित समय के अन्दर तैयार करवाना और उसका निरीक्षण करना।
15. ब्लाक क्षेत्र के पास बुक पर्चियों के वितरण की जॉच एवं उनके निर्गमन पर नियंत्रण कराने हेतु समय समय पर निरीक्षण करना एवं त्रुटियों को प्रकाश में लाना तथा उसमें सुधार कराना।
16. गन्ना क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करना एवं समय समय पर विभाग द्वारा सौपे गये कार्यो को पूर्ण करना।
17. गन्ना पूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए कलैण्डर बनाना, पास बुक बनाना तथा सीजन से पूर्व कृषकों को वितरित कराना तथा ग्राम सभा में समय समय पर इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी कराना।
18. नवीन सदस्य स्वीकार करने या पुराने सदस्यों को खारिज करना।

Scanned with CamScanner

19. क्षेत्र में पौधशालाओं एवं प्रदर्शनों का विभागीय निर्देशानुसार रखरखाव कराना
20 सदस्यों की ऋण सीमा निर्धारित कराना, बकायेदारों की सूची बनाना, गन्ना समितियों के ऋणियों/बकायादारों से ऋण की वसूली करवाना तथा वसूल धन समिति कार्यालय में जमा करना।
21 रोग एवं कीट से प्रभावित गन्ना क्षेत्र का सर्वे करना तथा उसके नियंत्रण हेतु उपचार करवाना।
22 गन्ने की उन्नत खेती के सम्बन्ध में प्रशिक्षण हेतु कृषकों को जागृत करना तथा उन्हें विभाग द्वारा संस्तुत प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भिजवाना।

सहकारी गन्ना विकास समितियां

गन्ना कृषकों को चीनी मिलों के शोषण से बचाने के उददेश्य से सहकारी गन्ना विकास समितियों की स्थापना की गई. सहकारी गन्ना समितियॉ सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धित की जाती हैं जिसके सन्दर्भ में निबन्धक के अधिकार गन्ना आयुक्त के पास है। उत्तराखण्ड में 14 सहकारी गन्ना विकास समितियॉ एवं एक चीनी मिल समिति अस्तित्व में है। गन्ना समिति क्षेत्र का कोई भी गन्ना उत्पादक कृषक जिसकी अपने नाम भूमि हो गन्ना समिति का स्थायी सदस्य बन सकता है। किन्तु जिनके पास वन, रेलवे, डाम आदि की पट्टे की जमीन होती है, उन्हे भी आपूर्ति सदस्य बनाया जाता है तथा ऐसे कृषकों को आगामी मात्र एक वर्ष/पेराई सत्र के लिए गन्ना आपूर्ति की सुविधा प्राप्त होती है। सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्तर पर निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जाते है :–

1. गन्ने की उपज में वृद्धि हेतु केन्द्र/राज्य सरकार एवं उच्च स्तर से बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन कराना।
2. सदस्यों के गन्ने की उपज का लाभ जनक मूल्य पर क्रय/विक्रय कराना तथा शीघ्र चीनी मिल को पूर्ति कराने का प्रबन्ध करना एवं उसका मूल्य भुगतान सुनिश्चित करना।
3. सदस्यों के हितों की रक्षा करना।
4. गन्ने के उत्तम बीज, खाद तथा उर्वरक, कीटनाशक रसायन कृषि यंत्र आदि कृषि निवेशों को सदस्यों को ऋण में उपलब्ध कराना।
5. उक्त उददेश्यों की पूर्ति हेतु पूँजी का प्रबन्धन करना।
6. ऐसे अन्य कार्य जो उपर्युक्त उददेश्यों के प्रसंग में हो और उनकी पूर्ति करने में सहायक हों।

गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र

गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जाते है :–
गन्ना कृषकों, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियो को प्रशिक्षण एवं अध्ययन यात्राओं के माध्यम से गन्ना उत्पादन में वृद्धि के लिये नवीन तकनीक उपलब्ध कराना एवं गोष्ठियों के माध्यम से विभागीय/शासन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना।

अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत निर्माण शाखा की उत्पत्ति वर्ष 1972–73 में अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश में हुई। इसके पूर्व भी निर्माण कार्यो के अनुश्रवण हेतु गन्ना विकास परिषदों में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तैनात रहते थे। यह निर्माण शाखा स्वतन्त्र रूप से निर्माण कार्यो को करती रही है और इसके अन्तर्गत सड़क, भवनों आदि का निर्माण होता रहा है। विभाग की इस शाखा में पूर्णकालिक कार्यालय स्टाफ, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता आदि तैनात हैं। इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतः लिंक रोड बनाई जाती हैं जो सुदूर के ग्रामों को गन्ना परिवहन के प्रयोजनार्थ मुख्य सड़कों से जोड़ती हैं। यह सड़के अंशदायी आधार पर बनाई जाती है जिन पर 75 प्रतिशत शासन द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत तथा 25 प्रतिशत कार्यदायी संस्था यथा गन्ना विकास परिषद, चीनी मिल आदि द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियत्रंण गन्ना एवं चीनी आयुक्त का है। सेन्टेज की धनराशि जो सामान्तः निर्माण कार्यो के लागत का 10 से 15 प्रतिशत होती है, से इस संस्था को वित्त पोषित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

विभाग/अधिनस्थ/कार्यदायी संस्थाओ द्वारा प्रदत्त सेवाओ का विवरण

क्र0 स0	संस्था का नाम	सेवा का नाम	समय अवधि (निर्धारित आवेदन प्रपत्र पूर्ण प्राप्त होने पर)	आवेदन शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	लाइसेंस शुल्क	विलम्ब शुल्क	जमानत	अन्य शुल्क	अभ्युक्ति
1	सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद	प्रथम गन्ना सर्वेक्षण	डेढ माह								01 मई से 15 जून तक
2	सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद	गन्ना सर्वेक्षण की कृषकवार/ प्लाटवार सूची का प्रदर्शन	7 दिवस								07 जुलाई से 15 जुलाई तक
3	सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद	अन्तिम गन्ना सर्वेक्षण	15 दिवस								20 सितम्बर तक
4	सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद	अन्तिम गन्ना सर्वेक्षण के पश्चात कृषको के गन्ना सर्वेक्षण एवं सटटे की सूची का प्रदर्शन	07 दिवस								23 सितम्बर से 30 सितम्बर तक
5	सम्बन्धित गन्ना विकास समिति	गन्ना उपज वढोत्तरी हेतु आवेदन	30 अक्टूबर तक	1– 5 एकड तक 100/– 2– 5 एकड से अधिक 200/– 3–एस0सी0/एस0टी 10/–							पूर्ण रूप से भरा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर
6	सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद	गन्ना उपज वढ़ोत्तरी हेतु आवेदन पत्रो की जांच	03 दिवस								
7	सम्बन्धित गन्ना विकास समिति	गन्ना समिति का सदस्य वनने हेतु आवेदन	15 नवम्बर तक	21.00						200.00 समिति शेयर के रूप में	पेराई सत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 07 दिवस के भीतर
8	सम्बन्धित गन्ना विकास समिति	गन्ना कृषको को कलैन्डर वितरण	31 अक्टूबर तक								मिल चलने से 8 दिवस पूर्व
9	सम्बन्धित गन्ना विकास समिति	कृषको को उर्वरक/ कीटनाशक वितरण	01 दिवस								समिति गोदाम में उपलब्ध होने पर

Scanned with CamScanner

क्र0 स0	संस्था / सम्बन्धित अधिकारी का नाम	सेवा का नाम	समय अवधि (निर्धारित आवेदन प्रपत्र पूर्ण प्राप्त होने पर)	आवेदन शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	लाइसेंस शुल्क	विलम्ब शुल्क	जमानत	अन्य शुल्क	अभ्युक्ति
10	सम्बन्धित गन्ना विकास समिति	कृषको को गन्ना बीज वितरण	03 दिवस	–	–						कृषक की मांग के अनुसार निर्धारित दरों पर एवं 1.00/ प्रति कुन्टल प्रशासनिक शुल्क के रूप में
11	सम्बन्धित गन्ना विकास समिति	कृषको को गन्ना मूल्य भुगतान	03 दिवस	–	–						चीनी मिल से गन्ना समिति के खाते में धन प्राप्त होने पर
12	सहायक चीनी आयुक्त के माध्यम से गन्ना एवं चीनी आयुक्त	खण्डसारी इकाई का लाईसेन्स	3 माह	–	–	–	2750.00 प्रति शक्ति चालित केन्द्रापग	–	–	–	पूर्ण रूप से भरा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्राप्ति की तिथि से
13	अर्न्तग्रामीण सडक निर्माण योजना	सड़क निर्माण हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	2500.00	–	–	500.00– 1 माह 1200.00– 2 माह 2000.00– 3 माह 2500.00– 3 माह उपरान्त	70,000.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
14		सड़क निर्माण हेतु बी श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	2000.00	–	–	400.00– 1 माह 700.00– 2 माह 1500.00– 3 माह 2000.00– 3 माह उपरान्त	50,000.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
15		सड़क निर्माण हेतु सी श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	1500.00	–	–	300.00– 1 माह 500.00– 2 माह 1100.00– 3 माह 1500.00– 3 माह उपरान्त	20,000.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
16		सड़क निर्माण हेतु डी श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	1000.00	–	–	200.00– 1 माह 400.00– 2 माह 700.00– 3 माह 1000.00– 3 माह उपरान्त	7,500.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक

Scanned with CamScanner

क्र0 स0	संस्था का नाम	सेवा का नाम	समय अवधि (निर्धारित आवेदन प्रपत्र पूर्ण प्राप्त होने पर)	आवेदन शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	लाइसेंस शुल्क	विलम्ब शुल्क	जमानत	अन्य शुल्क	अभ्युक्ति
17	अर्न्तग्रामीण सडक निर्माण योजना	भवन निर्माण हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	2500.00	–	–	500.00– 1 माह 1200.00– 2 माह 2000.00– 3 माह 2500.00– 3 माह उपरान्त	1,00,000.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
18		भवन निर्माण हेतु बी श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	2000.00	–	–	400.00– 1 माह 700.00– 2 माह 1500.00– 3 माह 2000.00– 3 माह उपरान्त	70,000.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
19		भवन निर्माण हेतु सी श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	1500.00	–	–	300.00– 1 माह 500.00– 2 माह 1100.00– 3 माह 1500.00– 3 माह उपरान्त	50,000.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
20		भवन निर्माण हेतु डी श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	1000.00	–	–	200.00– 1 माह 400.00– 2 माह 700.00– 3 माह 1000.00– 3 माह उपरान्त	20,000.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
21		विद्युत कार्य हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	2500.00	–	–	500.00– 1 माह 1200.00– 2 माह 2000.00– 3 माह 2500.00– 3 माह उपरान्त	25,000.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
22		विद्युत कार्य हेतु बी श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	2000.00	–	–	400.00– 1 माह 700.00– 2 माह 1500.00– 3 माह 2000.00– 3 माह उपरान्त	15,000.00		प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक

Scanned with CamScanner

क्र0 स0	संस्था का नाम	सेवा का नाम	समय अवधि (निर्धारित आवेदन प्रपत्र पूर्ण प्राप्त होने पर)	आवेदन शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	लाइसेंस शुल्क	विलम्ब शुल्क	जमानत	अन्य शुल्क	अन्युक्ति
23	अर्न्तग्रामीण सडक निर्माण योजना	विद्युत कार्य हेतु सी श्रेणी में पंजीकरण	15 दिवस	350.00	1500.00	–	–	300.00– 1 माह 500.00– 2 माह 1100.00– 3 माह 1500.00– 3 माह उपरान्त	5,000.00	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
24		सड़क निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	500.00	–	500.00– 1 माह 1200.00– 2 माह 2000.00– 3 माह 2500.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
25		सड़क निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	300.00	–	400.00– 1 माह 700.00– 2 माह 1500.00– 3 माह 2000.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
26		सड़क निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	250.00	–	300.00– 1 माह 500.00– 2 माह 1100.00– 3 माह 1500.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
27		सड़क निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	200.00	–	200.00– 1 माह 400.00– 2 माह 700.00– 3 माह 1000.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
28		भवन निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	500.00	–	500.00– 1 माह 1200.00– 2 माह 2000.00– 3 माह 2500.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
29		भवन निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	300.00	–	400.00– 1 माह 700.00– 2 माह 1500.00– 3 माह 2000.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक

Scanned with CamScanner

क्र0 स0	संस्था का नाम	सेवा का नाम	समय अवधि (निर्धारित आवेदन प्रपत्र पूर्ण प्राप्त होने पर)	आवेदन शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	लाइसेंस शुल्क	विलम्ब शुल्क	जमानत	अन्य शुल्क	अभ्युक्ति
30	अर्न्तग्रामीण सडक निर्माण योजना	भवन निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	250.00	–	300.00– 1 माह 500.00– 2 माह 1100.00– 3 माह 1500.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
31		भवन निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	200.00	–	200.00– 1 माह 400.00– 2 माह 700.00– 3 माह 1000.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
32		विद्युत कार्य हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	500.00	–	500.00– 1 माह 1200.00– 2 माह 2000.00– 3 माह 2500.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
33		विद्युत कार्य हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	300.00	–	400.00– 1 माह 700.00– 2 माह 1500.00– 3 माह 2000.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक
34		विद्युत कार्य हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण	15 दिवस	–	–	250.00	–	300.00– 1 माह 500.00– 2 माह 1100.00– 3 माह 1500.00– 3 माह उपरान्त	–	–	प्रत्येक वर्ष 1 मई से 30 जून तक

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड

Scanned with CamScanner